

Insolvency and Bankruptcy Board of India



No. IBBI/PR/2023/12
27th September 2023

PRESS RELEASE

IBBI celebrates its Seventh Annual Day

The Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) is celebrating its Seventh Annual Day on 1st October 2023. To mark the occasion, apart from Annual Day Lecture Series, many other activities have been scheduled in presence of **Justice Shri Ashok Bhushan, Hon'ble Chairperson, National Company Law Appellate Tribunal and Chief Justice (Retd.) Shri Ramalingam Sudhakar, Hon'ble President, National Company Law Tribunal and Dr. Manoj Govil, Secretary Ministry of Corporate Affairs.**

2. **Justice Shri Ashok Bhushan, Hon'ble Chairperson, National Company Law Appellate Tribunal**, will grace the occasion as the Chief Guest and will be delivering a keynote address.

3. **Chief Justice (Retd.) Shri Ramalingam Sudhakar, Hon'ble President, National Company Law Tribunal**, will be the Guest of Honour and will be delivering the Annual Day Lecture of this year.

4. To mark the occasion, an annual publication, "IBC: Evolution, Learnings and Innovation" and a research publication, "Navdrishti: Emerging Ideas on IBC" will also be released.

5. As part of the programme, winners of 4th National Online Quiz on IBC will be awarded with merit certificate, medal and cash prize.

6. In its seven years of journey, the Code has significantly expedited the resolution of insolvency cases, instilled confidence among investors and stakeholders, fostering a more conducive environment for business growth. The Code has rescued 2,622 CDs (720 through resolution plans, 1005 through appeal or review or settlement and 897 through withdrawal) till June 2023. Further, the credible threat of the Code, that a CD may change hands, has changed the behavior of debtors. Till date around 26,000 cases involving an underlying default amount of Rs. 8.23 lakh crore have been withdrawn before their admission.

7. The programme is being organised in the Vigyan Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi at 11.30 hrs onwards. Senior officers of the Government and regulatory bodies will grace the occasion. The occasion will witness the presence of stakeholders of the insolvency regime, namely, the insolvency professionals, registered values, other professionals, debtors, creditors, business leaders, academicians, and researchers on invitation. All the other interested stakeholders may join the programme virtually, the link to join will be available on <https://ibbi.gov.in/annualday2023>.

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड



सं. आईबीआई/पीआर/2023/12
27 सितम्बर, 2023

प्रेस विज्ञप्ति

आईबीबीआई का सातवां वार्षिकोत्सव

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) 1 अक्टूबर 2023 को अपना सातवां वार्षिक दिवस मना रहा है। इस अवसर को चिह्नित करने के लिए, वार्षिक दिवस व्याख्यान श्रृंखला के अलावा, **न्यायमूर्ति श्री अशोक भूषण, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण और मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री रामलिंगम सुधाकर, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण और डॉ. मनोज गोविल, सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय,** की उपस्थिति में कई अन्य गतिविधियाँ निर्धारित की गई हैं।

2. **न्यायमूर्ति श्री अशोक भूषण, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण** मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाएंगे और इस अवसर पर मुख्य व्याख्यान देंगे।

3. **मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री रामलिंगम सुधाकर, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण,** सम्मानित अतिथि होंगे और इस वर्ष का वार्षिक दिवस व्याख्यान करेंगे।

4. इस अवसर को स्मरणीय बनाने के लिए, वार्षिक प्रकाशन, "आईबीसी: इवोल्यूशन, लर्निंग एंड इनोवेशन" और एक शोध प्रकाशन, "नवदृष्टि: इमर्जिंग आइडियाज़ ऑन आईबीसी" भी जारी किया जाएगा।

5. कार्यक्रम में, आईबीसी पर चौथे राष्ट्रीय ऑनलाइन क्विज़ के विजेताओं को योग्यता प्रमाण पत्र, पदक और नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

6. अपनी सात साल की यात्रा में, संहिता ने दिवालिया मामलों के समाधान में काफी तेजी लाई है, निवेशकों और हितधारकों के बीच विश्वास पैदा किया है, व्यापार विकास के लिए अधिक अनुकूल माहौल को बढ़ावा दिया है। जून 2023 तक संहिता ने 2,622 कॉर्पोरेट देनदार (720 समाधान योजनाओं के माध्यम से, 1005 अपील या समीक्षा या समझौता के माध्यम से और 897 वापसी के माध्यम से) बचाई हैं। इसके अलावा, संहिता के विश्वसनीयता से कॉर्पोरेट देनदार के व्यवहार को बदल दिया है। अभी तक 26,000 मामले जिनकी अंतर्निहित डिफॉल्ट राशि 8.23 लाख करोड़ रुपये थी दाखिले के उपरांत परन्तु स्वीकृति से पहले वापिस ले लिए गए।

7. कार्यक्रम उक्त तिथि को 11.30 बजे विज्ञान भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। सरकार और नियामक निकायों के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर की शोभा बढ़ाएंगे। इस अवसर पर दिवाला व्यवस्था के हितधारकों, अर्थात् दिवाला पेशेवरों, पंजीकृत मूल्य निर्धारकों, अन्य पेशेवरों, देनदारों, लेनदारों, शीर्ष व्यवसायी, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं की उपस्थिति देखी जाएगी। अन्य सभी इच्छुक हितधारक, कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हो सकते हैं, शामिल होने का लिंक <https://ibbi.gov.in/annualday2023> पर उपलब्ध होगा।